संख्या-22/2019-1014/58-2019-346/2016

प्रेषक,

संदीप कौर,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

उद्यान अनुभाग **लखनऊः दिनांक 29 मई, 2019**

विषयः **विभाग में 02 निष्प्रयोज्य वाहनों के प्रतिस्थापन हेतु धनराशि रू0-14.34 लाख को अवमुक्त किये जाने तथा उक्त वाहनों के क्रय की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-11/बजट/2019-20, दिनांक 20.05.2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विभाग में निष्प्रयोज्य 01 अम्बेस्डर कार तथा 01 जिप्सी के प्रतिस्थापन स्वरूप क्रमशः 01 मारूति सियाज स्मार्ट हाइब्रिड डेल्टा (पेट्रोल) धनराशि रू0-7,82,279/- एवं 01 बुलेरो एसएलई पावर बीएस-4 धनराशि रू0-6,51,437/- कुल धनराशि रू0-14,33,716/- अर्थात रू0-14.34 लाख (रू0-चौदह लाख चौंतीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा वाहन क्रय किये जाने की अनुमति श्री राज्यपाल महोदय निम्न शर्तों के अधीन सहर्ष प्रदान करते है :-

(1) वित्त विभाग द्वारा मात्र वाहन क्रय पर सहमति प्रदान की गयी है। वाहन का माडल एवं मूल्य जेम पोर्टल के अनुसार न्यूनतम होगा, यह सुनिश्चित किये जाने का दायित्व विभागाध्यक्ष का होगा।

(2) प्रतिस्थापन स्वरूप क्रय किये जाने वाले वाहन का क्रय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनु0-2 के संगत शासनादेश में निर्धारित सीमा/धनराशि के अन्तर्गत किया जायेगा।

(3) प्रश्नगत वाहन का क्रय डी0जी0एस0 एण्ड डी0 के नये जेम पोर्टल के अनुसार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनु0-2 के शासनादेश दिनांक 23.08.2017 में निहित व्यवस्थानुसार किया जायेगा।

(4) वाहन के क्रय के संबंध में परिवहन विभाग के संगत शासनादेश में दी गयी व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत वाहन की नीलामी की धनराशि राज्य कोष के निर्धारित मद में जमा कर दी गयी है और इसकी पुनरावृत्ति नहीं हुई है।

(6) प्रश्नगत धनराशि का व्यय केवल प्रतिस्थापन स्वरूप वाहन क्रय मद में किया जायेगा किसी अन्य मद में किया गया व्यय अनुमन्य न होगा।

(7) वाहन हेतु अनुमन्य धनराशि/स्वीकृति की जा रही धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि वाहन के संदर्भ में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम से वाहन क्रय न किया गया हो अर्थात इसकी द्विरावृत्ति न हो।

2- उपर्युक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-10 के लेखाशीर्षक 4401-फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय-119-बागवानी तथा वनस्पति की फसलें-800-अन्य व्यय-04-जिला व मण्डलीय कार्यालय की योजनान्तर्गत मानक मद 14-मोटर गाड़ियों का क्रय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0-530/दस-ई-1/2019, दिनांक 27 मई, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(संदीप कौर)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-22/2019-1014(1)/58-2019, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
(2) वित्त नियंत्रक, निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(4) वित्त, (व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
(5) वित्त, (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0शासन।
(6) वित्त, (आय-व्ययक) अनुभाग-2, उ0प्र0शासन।
(7) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(इन्दुबाला कटियार)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in